

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " नागरिकता " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " नागरिकता " से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-आ0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्वारा डोमीसाइल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा। -
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपतियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड़)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)

पूरा वर्तमान पता

थानातहसील

जनपद (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि (ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता

आवेदक का नवीनतम फोटो
सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर सहित
घरूपा दी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हाँ/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... ..जनपद..... उत्तर प्रदेश को
मैं वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला.....मैं अचल सम्पत्ति हूँ।
दिनांक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी

मकान नंबर

मुहल्ला थाना

उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता

.....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वतकपदंतपसल तमेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,

का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।